## अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

**1. यौन उत्पीड़न क्या है?**

*यौन उत्पीड़न के कुछ उदाहरण :* यौन उत्पीड़न में मौखिक रूप से, गैर-मौखिक रूप से, या शारीरिक आचरण जैसे कि भद्दी टिप्पणियाँ, यौन संबंधी टिप्पणियाँ या मजाक बनाना, पत्र, फोन कॉल, ई-मेल या एसएमएस, किसी अन्य संचार माध्यम के जरिये, इशारे करना, अश्लील साहित्य दिखाना, कामुकता से घूरना, पीछा करना, आवाज़ें लगाना या अपमानजनक भावों का प्रदर्शन करना, किसी व्यक्ति के प्रदर्शन में हस्तक्षेप करना या भयभीत करना, शत्रुतापूर्ण या आक्रामक माहौल बनाना, जबरन शारीरिक स्पर्श या छेड़छाड़ करना; छेड़खानी करना, चिढाना एवं ताने मारना, किसी की इच्छा के खिलाफ शारीरिक रूप से कैद में रखना और गोपनीयता पर घुसपैठ करना शामिल हैं।

**2. अगर केवल एक बार मेरे साथ यौन उत्पीड़न किया गया हो तो क्या मैं शिकायत दर्ज कर सकती/ता हूँ?**

जी हाँ।

**3. मुझे छुआ नहीं था, लेकिन यौनक्रिया की माँग की गई थी, तो क्या यह यौन उत्पीड़न है?**

अगर यह अनुभवकर्ता के लिए अवांछित है, तो यह यौन उत्पीड़न माना जाएगा।

**4. मैंने यौनक्रिया की माँग को इनकार कर दिया था। मैंने इनकार किया था इसलिए अब मुझे धमकी दी जा रही है। क्या यह यौन उत्पीड़न है?**

जी हाँ। अन्य परिस्थितियों के बीच निम्नलिखित हालातों में, यदि यह यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य या व्यवहार के संबंध में है या उससे जुड़ा है तो यह यौन उत्पीड़न में शामिल हो सकता है :

क) अधिमान्य व्यवहार का अंतर्निहित या स्पष्ट वादा
ख) अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी या हानिकारक व्यवहार
ग) वर्तमान या भविष्य की रोजगार स्थिति या परियोजनाओं / असाइनमेंट / परीक्षा परिणामों के बारे में अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी
घ) काम / परियोजनाओं / असाइनमेंट में हस्तक्षेप करना या डरावना या आक्रामक या शत्रुतापूर्ण कार्यस्थल माहौल बनाना
ङ) अपमानजनक व्यवहार जिससे स्वास्थ्य या सुरक्षा के प्रभावित होने की संभावना हो

**5. मेरा कोई भी सीधे तौर पर यौन उत्पीड़न नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लगातार अश्लील सामग्री भेजी जा रही है और जब मैं कॉलेज में प्रवेश करती/करता हूँ, तब यह सब भेजने वाले के दोस्तों की टोली द्वारा मेरा मजाक उड़ाया जाता है। क्या इसे यौन उत्पीड़न कहा जा सकता है?**

जी हाँ। यह यौन उत्पीड़न का एक उदाहरण है जिसमें शत्रुतापूर्ण कार्यस्थल माहौल बनाकर यौन उत्पीड़न किया जाता है।

**6. मेरे साथ यौन उत्पीड़न हुआ था, मैं किसके समक्ष शिकायत दर्ज कर सकती/ता हूँ?**

कई भी आईआईएमए की सीएमजीआई के सदस्यों के समक्ष सीधे ही शिकायत दर्ज करा सकता है। सीएमजीआई सदस्यों के विवरण आईआईएमए की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

**7. क्या अन्य लिंग (पुरुष भी) यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा सकते हैं?**

जी हाँ, किसी भी लिंग-भेद के बगैर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

**8. सीएमजीआई क्या है?**

आईआईएमए ने अधिनियम के अनुसार लैंगिक मुद्दों के प्रबंधन के लिए समिति ("**सीएमजीआई**") के रूप में जानी जाने वाली एक आंतरिक समिति की स्थापना की है। हालांकि, **सीएमजीआई** को केवल यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए ही स्थापित नहीं किया गया है बल्कि इसे लैंगिक मुद्दों के बारे में जागरूकता, परामर्श और शिक्षित करने पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया है।

**9. क्या इस समिति के सदस्य स्थायी हैं?**

कानून के अनुसार प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष है। लेकिन समिति के एक सदस्य के रूप में जारी रहने के लिए, अथवा समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त, निर्वाचित, मनोनीत या नामित होने के लिए एक व्यक्ति को तब अयोग्य घोषित किया जाएगा जब वह :-

क) आईआईएमए की नीति के किसी प्रावधान या आईआईएमए के मूल्य / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है; अथवा

ख) किसी भी कानून के तहत किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो अथवा उसके खिलाफ किसी अपराध के लिए जाँच कुछ समय से लंबित हो; अथवा

ग) किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषी पाया गया है या उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है; अथवा

घ) सार्वजनिक हित में कार्यालय की स्थिति को प्रतिकूल प्रकट करते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया है।

रोजगार, इस्तीफा, मृत्यु, विकलांगता या निष्कासन, जो भी लागू हो, उसके कारण समिति की सदस्यता के लिए खाली हुई रिक्ति को नए नामांकन से भरा जाएगा।

**10. शिकायत दर्ज करने से पहले मुझे किसी से भी अनुमति लेनी पड़ेगी?**

जी नहीं।

**11. शिकायत कब तक दर्ज करा लेनी चाहिए?**

घटना की तारीख से 3 (तीन) महीने की अवधि के अंदर और घटनाओं की एक श्रृंखला की स्थिति में, अंतिम घटना की तारीख से 3 (तीन) महीने की अवधि के अंदर शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए।

**12. अगर मैं 3 महीने के भीतर शिकायत दर्ज नहीं करा पा रही/रहा हूँ तो क्या होगा?**

यदि समिति इस बात से संतुष्ट होती है कि परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिससे शिकायतकर्ता को पहले 3 (तीन) महीनों के भीतर शिकायत दर्ज कराने में बाधा आई थी, तो समिति शिकायत प्राप्त करने के लिए 3 (तीन) महीने की दूसरी अवधि तक समय सीमा बढ़ा सकती है। समिति 3 (तीन) महीने की अवधी के इस विस्तार के कारणों का लिखित में रिकॉर्ड रखेगी। इसलिए, आपको अधिकतम 6 महीने के भीतर शिकायत दर्ज करानी ही होगी। शिकायत दर्ज कराने में कोई भी कथित देरी को, शिकायत की सत्यता का निर्धारण करने या प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना करने में एक प्रासंगिक कारक नहीं माना जाएगा।

**13. किसको शिकायत दर्ज कराने की आवश्यकता रहती है?**

वह व्यक्ति जिसने यौन उत्पीड़न (पीड़ित) महसूस / अनुभव / सामना किया है।

**14. क्या पीड़ित की ओर से कोई अन्य व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है?**

जी हाँ। यदि पीड़ित शारीरिक अक्षमता के कारण शिकायत कराने में असमर्थ है, तो निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा सकती है (शिकायतकर्ता की लिखित सहमति के साथ) :

- रिश्तेदार या दोस्त; या
- उसका सहकर्मी; या
- राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग के अधिकारी
- वह कोई भी व्यक्ति जिसे इस घटना की जानकारी है

यदि पीड़ित मानसिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, तो शिकायत निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा दर्ज कराई जा सकती है :

- रिश्तेदार या दोस्त; या
- एक विशेष शिक्षक; या
- एक योग्य मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक; या
- अभिभावक या प्राधिकरण जिनकी देखभाल के तहत वह उपचार या देखभाल प्राप्त कर रही/रहा है; या
- कोई भी व्यक्ति जिसे घटना के संबंध में जानकारी है, जो रिश्तेदार या मित्र या एक विशेष शिक्षक या योग्य मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक, या अभिभावक या

प्राधिकृत व्यक्ति जिनकी देखभाल के तहत पीड़ित को उपचार या देखभाल मिल रही है।

यदि किसी अन्य कारण से पीड़ित शिकायत करने में असमर्थ है, तब पीड़ित की लिखित सहमति के साथ किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिसे इस घटना के बारे में जानकारी है।

**15. शिकायत कैसे की जाती है?**

आप समिति के किसी भी सदस्य के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत प्रत्यक्ष रूप से किसी भी सदस्य के पास या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-मेल (chr-cmgi@iima.ac.in) द्वारा की जा सकती है। आप सहायक दस्तावेजों (यदि कोई हैं तो) और कथित घटना(ओं) से संबंधित प्रासंगिक विवरणों के साथ, आपके नाम और विवरण, जिस व्यक्ति ("प्रतिवादी") के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी है उसके नाम और विवरण के साथ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

**16. क्या शिकायत मौखिक रूप से दायर की जा सकती/सकता है?**

जी नहीं।

**17. क्या मैं बेनामी शिकायत दर्ज करा सकती/सकता हूँ?**

जी नहीं, इसकी अनुशंसा नहीं की जाती है। एक लिखित शिकायत की आवश्यकता होगी और एक लिखित शिकायत आपको कई तरीकों से मदद करेगी। सबसे पहले, इससे एक रिकॉर्ड तैयार होता है, इसलिए, आपकी शिकायत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। दूसरा, आप और समिति के सदस्य कई बार रिपोर्ट करने के बजाय घटनाओं के बारे में एक बार में ही जान सकेंगे।

यदि आप शिकायत लिखने में सक्षम नहीं हैं, तो समिति आपको लिखने में सहायता करेगी। किसी भी सहायता के लिए, आप ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए फोन नंबर और / या ईमेल आईडी पर किसी भी समिति सदस्य से संपर्क कर सकते हैं।

**18. कॉलेज के समय के बाद मेरे साथ यौन उत्पीड़न किया जा रहा है, क्या मैं शिकायत दर्ज करा सकती/सकता हूँ?**

जी हाँ। यहाँ तक कि यदि कॉलेज खत्म होने के समय के बाद भी किसी का यौन उत्पीड़न हो रहा है, तो भी वे आईआईएमए के अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर उन्हें आईआईएमए परिसर में या आईआईएमए से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा परेशान किया गया है। यह तब भी लागू होता है जब निम्न में से कोई भी घटना हो रही है :

क) सभी कार्यालयों, परिसर में (छात्र आवास, निवास, कक्षाएँ, खेल का मैदान, कैंटीन, पुस्तकालय, सभागार, छात्र गतिविधि केंद्र और परिसर में अन्य सार्वजनिक स्थानों सहित) या किसी अन्य परिसर में जहाँ आईआईएमए का सरोकार रहता है।

ख) आईआईएमए से संबंधित वे सभी गतिविधियाँ जो आईआईएमए के परिसर से बाहर किसी भी अन्य स्थल पर आयोजित की जा रही हैं।

ग) कोई भी सामाजिक, व्यवसायिक या अन्य समारोह / सभा / पार्टियाँ / पिकनिक इत्यादि जहाँ ऐसा आचरण या की गई टिप्पणियाँ जो किसी अध्ययनकर्ता, निवासी और / या कार्यरत व्यक्ति पर प्रतिकूल असर डाल सकता हैI

घ) कार्यालय से बाहर / कामकाजी समय के दौरान कार्यालय में किया गया कथित यौन उत्पीड़न का कृत्य।

ङ) कर्मचारी / छात्र द्वारा कार्यालय से बाहर / कार्यालय में कामकाजी घंटों के दौरान किसी भी सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट पर किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से किया गया कोई भी यौन उत्पीड़न।

च) बाहर से दौरे पर आए कर्मचारी / छात्र अथवा आईआईएमए में कार्यरत कर्मचारी / नामांकन के दौरान किसी भी यात्रा के दौरान जब आईआईएमए द्वारा प्रदान किए गए वाहन का उपयोग करते हुए यौन उत्पीड़न का कोई भी कथित कृत्य।

**19. मैं कॉलेज के बाहर एक बैठक के लिए एक प्रोफेसर के साथ गई और उन्होंने मुझे रास्ते में परेशान किया। क्या मैं शिकायत दर्ज कराने के योग्य हूँ?**

जी हाँ।

**20. मैं यौन उत्पीड़न की घटना की/का साक्षी रही/रहा हूँ, क्या मैं शिकायत दर्ज करा सकती/ता हूँ?**

जी हाँ। लेकिन जिस व्यक्ति ने यौन उत्पीड़न महसूस किया है/ सामना किया है उसकी लिखित सहमति के साथ शिकायत की जा सकती है।

**21. मेरे साथ छात्र / प्रोफेसर / अन्य कर्मचारियों द्वारा कॉलेज / आईआईएमए परिसर में यौन उत्पीड़न किया गया था, क्या मैं समिति के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकती/ता हूँ?**

जी हाँ।

**22. मेरे साथ एक अजनबी द्वारा कॉलेज / आईआईएमए परिसर में यौन उत्पीड़न किया गया था, क्या मैं समिति के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकती/ता हूँ?**

जी नहीं। आपको उचित निवारण के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। आईआईएमए आपको ऐसा करने में मदद कर सकता है। कृपया इसके बारे में सीएमजीआई को सूचित करें।

**23. मेरे साथ बस / ट्रेन में एक अजनबी द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था, क्या मैं आईआईएमए में समिति के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकती/ता हूँ?**

जी नहीं। आपको उचित निवारण के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। आईआईएमए आपको ऐसा करने में मदद कर सकता है। इसलिए कृपया हमें बताएँ।

**24. यदि मुझे कॉलेज / आईआईएमए के प्रबंधन से संबंधित किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी है तो मैं क्या करूँ?**

आप हमारे पास आ सकते हैं और यहाँ तक कि आईआईएमए की समिति के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हालांकि, शिकायत की जाँच स्थानीय समिति द्वारा ही की जाएगी क्योंकि शिकायत प्रबंधन के किसी व्यक्ति के खिलाफ है। वैकल्पिक रूप से, आप स्थानीय समिति के समक्ष सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

**25. स्थानीय समिति क्या है?**

स्थानीय समिति (एलसी) देश के हर जिले में नियोक्ता के खिलाफ शिकायत करने, घरेलू नौकरों की शिकायतें लेने और जिस नियोक्ता के पास 10 से कम कर्मचारी होने के कारण आंतरिक समिति नहीं होती है ऐसे कर्मचारियों की शियाकतें लेने के लिए यह समिति गठित की गई है। ये आईसी (आंतरिक समिति) की तरह काम करती हैं।

**26. अगर मुझे लिखित शिकायत करने के बाद धमकी दी गई है तो क्या करना होगा?**

यदि आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो तुरंत समिति के किसी भी सदस्य तक पहुँचें। आपकी रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आईआईएमए शिकायतकर्ताओं और गवाहों के खिलाफ प्रतिशोध बर्दाश्त नहीं करता है और प्रतिशोध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

**27. अगर मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है तो क्या मुझे शिकायत की एक प्रति मिलेगी?**

जी हाँ। समिति द्वारा शिकायत प्राप्त होने के 7 कार्य दिवसों के भीतर पूरी शिकायत की एक प्रति आपको दी जाएगी।

**28. क्या मुझे मेरे खिलाफ शिकायत का जवाब देने का अधिकार है?**

जी हाँ। जैसे ही आपको शिकायत की प्रति प्राप्त होती है उसके बाद, आपको 10 कार्य दिवसों में लिखित में जवाब देना होगा। यह जवाब दस्तावेजों की सूची, और गवाहों के नाम और पते (यदि कोई हो) के साथ भेजा जा सकता है।

**29. मेरे खिलाफ शिकायत का मुझे कितने दिनों में जवाब देना है?**

10 कार्य दिवसों के भीतर।

**30. क्या मेरे लिए समझौता करना अनिवार्य है?**

जी नहीं।

**31. समझौता क्या है?**

जाँच शुरू करने से पहले, सीएमजीआई, शिकायतकर्ता के लिखित अनुरोध पर शिकायतकर्ता और प्रतिवादी के बीच समझौते के माध्यम से इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर सकती है।

**32. क्या मैं जाँच के बाद समझौता कर सकती/ता हूँ?**

नहीं।

**33. शिकायत की जाँच करने में कितना समय लगता है?**

सीएमजीआई / आईसी को प्रतिवादी का जवाब प्राप्त होने के दिन से 90 दिनों के अंदर जाँच पूरी करनी होगी।

**34. क्या मैं जाँच के लिए अपने वकील के साथ आ सकता हूँ?**

नहीं।

**35. समिति ने मुझे बुलाया है / समिति ने मुझे दस्तावेजों के लिए कहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए?**

जब समिति की यह राय हो कि यह न्याय के हित में होगा तभी समिति किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए बुला सकती है। समिति के पास किसी भी व्यक्ति को उपस्थिति होने के लिए बुलावा भेजने और बाध्य करने का अधिकार है। किसी कर्मचारी / छात्र द्वारा समिति के समक्ष किसी भी सुनवाई में भाग लेने से मना करने या समिति के अधिकार क्षेत्र में माँगे गए दस्तावेजों और / या जानकारी के लिए मना करने पर इसे दुर्व्यवहार के रूप में माना जाएगा, और यह व्यवहार इस समिति को ऐसे कर्मचारी / छात्र के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई करने के लिए बाध्य करेगा।

**36. अगर मैं पूछताछ में सुनवाई के लिए जाना बंद कर दूँ तो क्या होगा?**

यदि आप (चाहे आप शिकायतकर्ता हो या प्रतिवादी) पर्याप्त कारण बताए बिना अध्यक्ष द्वारा समन्वित सुनवाई में लगातार 3(तीन) बार उपस्थिति रहने में असफल रहते हैं, तो समिति को जाँच की कार्यवाही समाप्त करने या शिकायत पर एकतरफा निर्णय लेने का अधिकार होगा। साथ

ही, ध्यान रहे कि इस तरह का निर्णय या एकतरफा आदेश 15 (पंद्रह) दिन के अग्रिम नोटिस दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

**37. क्या शिकायत गोपनीय रखा जायेगा ?**

जी हाँ। सभी विवरण पूरी तरह से गोपनीय रहेंगे। सभी छात्र / कर्मचारी जो गवाहों के रूप में शामिल हैं और समिति की कार्यवाही का हिस्सा हैं, उन्हें गोपनीय समझौते / पत्र / विन्यास पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। यदि कोई व्यक्ति (गवाहों सहित) गोपनीयता भंग करता है, तो आईआईएमए ऐसे व्यक्ति से जुर्माने के रूप में पाँच हजार रुपये वसूल करेगा।

**38. अगर मैं शिकायत दर्ज करती/ता हूँ तो क्या मुझे कॉलेज से छुट्टी लेने के लिए कहा जाएगा?**

नहीं। ऐसा तब होगा जब आप जाँच लंबित रहने के दौरान किसी भी छुट्टी के लिए लिखित अनुरोध प्रस्तुत करते हैं।

**39. क्या किया जा सकता है यदि मैं उन प्रोफेसर के व्याख्यान में भाग नहीं लेना चाहती जिनके खिलाफ मैंने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है?**

ऐसी राहत के लिए आप समिति से लिखित में अनुरोध कर सकते हैं।

**40. मेरी शिकायत लंबित होने के दौरान मैं किस राहत के लिए माँग कर सकती/ता हूँ?**

यदि आप एक शिकायतकर्ता हैं, तो जाँच लंबित होने के दौरान आप राहत के लिए समिति को <u>लिखित</u> में अनुरोध कर सकते हैं। समिति आईआईएमए को निम्नलिखित के लिए सिफारिश कर सकती है :

क) आपको या प्रतिवादी को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करें (यदि संभव है तो)
ख) आपको 3 (तीन) महीने की छुट्टी दें (ये छुट्टियाँ आपकी हकदारी की छुट्टियों के अतिरिक्त होंगी)
ग) आईआईएमए को लगता है कि कोई अन्य राहत प्रदान करना उचित है तो वह
घ) आपके काम के प्रदर्शन पर रिपोर्ट करने या आपकी गोपनीय रिपोर्ट लिखने से प्रतिवादी पर अंकुश लगाना और किसी अन्य प्रमुख / अधिकारी को उसके लिए अधिकृत करना
ङ) प्रतिवादी को आपकी अकादमिक गतिविधि की निगरानी करने से रोकना और यह काम अन्य अधिकारी को सौंपना (यदि प्रतिवादी प्रोफेसर हैं तो)।

समिति से सिफारिश प्राप्त करने पर, आईआईएमए इन सिफारिशों को लागू करेगा।

**41. मेरे खिलाफ शिकायत लंबित होने के दौरान मैं किस राहत के लिए माँग कर सकता/ती हूँ?**

जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है उसके लिए कोई उपाय उपलब्ध नहीं है। उपाय केवल एक शिकायतकर्ता के लिए ही उपलब्ध हैं।

**42. यौन उत्पीड़न के बारे में बताने वाले कोई अन्य कानून हैं?**

हाँ। भारतीय दंड संहिता, 1908 में कहा गया है कि यौन उत्पीड़न दंडनीय अपराध है और आरोपी को इसके लिए कारावास की सजा भी हो सकती है।

**43. क्या इससे संबंधित कोई अन्य अपराध हैं?**

हाँ। पीछा करना और ताक-झाँक करना भी इन अपराधों से संबंधित ही हैं जो यौन उत्पीड़न के साथ-साथ या यौन उत्पीड़न की घटना के पहले या बाद में हो सकते हैं। ये भी भारतीय दंड संहिता, 1908 के तहत दंडनीय अपराध हैं और आरोपी को इनके लिए कारावास की सजा हो सकती है।

**44. क्या मैं पुलिस और आईआईएमए दोनों के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकती/ता हूँ?**

जी हाँ, आप कर सकती/ते हैं।

**45. क्या मुझे जाँच रिपोर्ट की एक प्रति मिल सकती है?**

जी हाँ (शिकायतकर्ता और प्रतिवादी दोनों को जाँच रिपोर्ट की एक प्रति दी जाती है)।

**46. समिति द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट पर कॉलेज / आईआईएमए को कितने दिनों में कार्रवाई करनी है?**

60 दिनों में।

**47. यदि प्रबंधन मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो?**

आप आईसी (आंतरिक समिति) या प्रबंधन के पास जा सकते हैं अथवा कानून के अनुसार अदालतों / ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील कर सकते हैं।

**48. अगर मैं सीएमजीआई की जाँच रिपोर्ट के निर्णय से खुश नहीं हूँ तो क्या करना होगा?**

आप कानून के अनुसार अदालतों / ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

**49. अपील दायर करने के लिए मुझे कितने दिनों का समय मिलता है?**

90 दिनों का।

**50. क्या कानून के तहत नियोक्ता के कोई विशिष्ट कर्तव्य हैं?**

जी हाँ। कानून ने नियोक्ता के लिए कई कर्तव्यों का प्रावधान किया है। उनमें से कुछ निम्न प्रकार से हैं :

- कार्यस्थल पर एक सुरक्षित काम का माहौल प्रदान करें जिसमें कार्यस्थल पर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा शामिल है।
- कार्यस्थल के किसी विशिष्ट स्थान पर यौन उत्पीड़न के दंडनीय परिणाम और सीएमजीआई / आंतरिक समिति ("**आईसी**") का गठन करने के आदेश प्रदर्शित करें।
- यौन उत्पीड़न के निषेध, रोकथाम और निवारण के लिए आंतरिक नीति तैयार करना और व्यापक रूप से उसका प्रसार करना ।
- आईसी के सभी सदस्यों के नामों और संपर्क विवरणों की घोषणा करें।
- कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करें।
- आईसी सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन करें।
- आईसी सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करें।
- कर्मचारी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करें और वार्तालाप के लिए एक मंच प्रदान करें।

**51. कानून के तहत यदि कोई निर्धारित कर्तव्यों को पूरा नहीं करता है तब क्या होता है?**

यदि कोई सीएमजीआई / आईसी का गठन नहीं करता है या अधिनियम के तहत निहित शेष कर्तव्यों को पूरा नहीं करता है, तो उस पर कानून के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है जो कि रु. 50,000 तक का हो सकता है। कर्तव्यों को बार-बार पूरा नहीं करने के स्थिति में, जुर्माना दोगुना हो सकता है और ऐसी स्थिति में जहाँ किसी को व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, वहाँ ऐसे लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है या पंजीकरण या नवीनीकरण के आवेदन को वापिस किया जा सकता है और रद्द किया जा सकता है।

**52. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एक नियोक्ता क्या कदम उठा सकता हैं?**

नियोक्ता निम्न कदम उठा सकते हैं :

- आईसी सदस्यों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें ताकि वे कानून और प्रक्रिया की जानकारी से पूरी तरह अद्यतन रहें।
- समय-समय पर कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना ताकि उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सूचित किया जा सके और यौन उत्पीड़न क्या है यह ज्ञात रहे।
- प्रबंधन के लिए सत्र आयोजित करें ताकि वे प्रभावी ढंग से कानून का पालन करा सकें और यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोक सकें और स्वस्थ काम का माहौल प्रदान कर सकें।

- संगठन की भावनाओं और नीतियों के बारे में सूचित करने के लिए नए जुड़ने वाले कर्मचारियों / छात्रों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम रखें।
- कार्यस्थल पर समानता की भावना पैदा करने के लिए लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करें। यह एक दूरदर्शी कदम होगा कि नियोक्ता एक समान अवसर प्रदाता है।
- यह सुनिश्चित करें कि आईसी मुद्दों पर चर्चा करने और खुद को अद्यतन रखने के लिए नियमित आधार पर मिलती है ।
- आईसी को सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करें।

53. **क्या कॉलेज / नियोक्ता / आईआईएमए शिकायत का विवरण संबंधित पक्षों के अलावा भी किसी अन्य के साथ साझा कर सकते हैं?**

नहीं। कॉलेज / नियोक्ता / आईआईएमए किसी भी सार्वजनिक मंच पर या किसी भी व्यक्ति के साथ जो इससे जुड़ा नहीं है उसके साथ यौन उत्पीड़न या संबंधित व्यक्तियों की पहचान के किसी भी मामले का विवरण प्रदर्शित / साझा नहीं कर सकते हैं। कानून का प्रावधान है कि यौन उत्पीड़न के मामले से संबंधित किसी भी जानकारी को सार्वजनिक, प्रेस या मीडिया को किसी भी तरीके से प्रकाशित, संचारित या ज्ञात नहीं कराया जा सकता है।

**54. जिस नियोक्ता के पास 10 कर्मचारी हैं, लेकिन उनमें से एक भी महिला नहीं है, क्या उस नियोक्ता को भी सीएमजीआई / आईसी की जरूरत रहती है?**

जी हाँ।

**55. एक बाहरी सदस्य कौन हो सकता है?**

गैर सरकारी संगठनों या संगठनों में से कोई भी महिला सदस्य जो जन कल्याण के कार्यों या यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित हो और उनके लिए प्रतिबद्ध हो।

**56. क्या एक बाहरी सदस्य होना अनिवार्य है?**

हाँ जी, तीसरे पक्ष का एक स्वतंत्र सदस्य होना जरूरी है।

**57. क्या सीएमजीआई सदस्यों के लिए कोई कार्यकाल निर्धारित है?**

हाँ जी, सभी आईसी सदस्यों का तीन साल का कार्यकाल होता है।

**58. क्या कार्यकाल पूरा होने से पहले सीएमजीआई / आईसी के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है?**

जी हाँ, कानून के अनुसार कुछ खास परिस्थितियों में, किसी सीएमजीआई / आईसी सदस्य को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया जा सकता है जैसे कि निजिहितों का टकराव, यदि समिति

सदस्य कथित उत्पीड़क या शिकायतकर्ता है आदि। इस सदस्य के हटने से खाली हुई रिक्ति को कानून के प्रावधानों के अनुसार फिर से भरना होगा।

**59. क्या सीएमजीआई / आईसी को शिकायत सुनने के लिए एक प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है?**

हाँ। कानून ने एक प्रक्रिया निर्धारित की है। सीएमजीआई / आईसी को शिकायत की जाँच के दौरान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है और इसे गवाहों और दस्तावेजों की प्रस्तुति के लिए सिविल कोर्ट के अधिकार प्राप्त हैं।

**60. क्या नियोक्ता को छात्रों / कर्मचारियों के बीच यौन उत्पीड़न की रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है?**

जी हाँ।

**61. प्रशिक्षण / कार्यशाला / संगोष्ठी / जागरूकता कार्यक्रम कैसे मदद करेंगे?**

- इस तरह के सत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके कर्मचारी अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों से अवगत हैं।
- इससे यह भी दिखेगा कि आपने यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए वास्तविक कदम उठाए हैं।
- इससे आपकी आईसी को शिकायतों को बेहतर ढंग से निपटने में मदद मिलेगी।
- इससे संगठन के कर्मचारियों में विश्वास जागृत होगा।
- इससे लिंग संवेदनशील कार्यस्थल माहौल पैदा होगा।
- कर्मचारियों को विपरीत लिंग के साथ काम करते समय एक दूसरे से डरने के बजाय बराबर के अधिकारों का सम्मान करते हुए एक स्वस्थ माहौल में काम के प्रति सकारात्मकता और कार्य-उत्पादकता का सृजन होता है।

**62. क्या कॉलेज / नियोक्ताओं के लिए यौन उत्पीड़न के खिलाफ नीति बनाना अनिवार्य है?**

हाँ जी।

**63. इस नीति के बारे में कॉलेज / नियोक्ता अपने छात्रों / कर्मचारियों को कैसे सूचित कर सकते हैं?**

छात्रों / कर्मचारियों को निम्नलिखित द्वारा सूचित किया जा सकता है :

- ईमेल पर अपने छात्रों / कर्मचारियों को नीति प्रसारित करें।
- इसे वेबसाइट या इंट्रानेट पर प्रकाशित करें।
- कार्यस्थल के विशिष्ट स्थानों पर पोस्टर प्रदर्शित करें।

पोस्टर प्रदर्शित करने का अतिरिक्त लाभ यह है कि इससे ना केवल कर्मचारियों को ही बल्कि आगंतुकों को भी नीति के बारे में जानकारी दी जा सकती है। इससे आगंतुकों के अवांछित व्यवहार को रोका जा सकता है।

**64. क्या कॉलेज / संगठन में पोस्टर प्रदर्शित करना अनिवार्य है?**

जी हाँ। इसके अलावा, पोस्टर जागरूकता पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकते हैं, विशेष रूप से दृश्य प्रभाव को देखते हुए पोस्टर कर्मचारियों / छात्रों के साथ-साथ आगंतुकों के दिमाग पर भी असर डाल सकते हैं। संगठन / कॉलेज में विश्वास पैदा करने, यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने तथा एक सुरक्षित काम का माहौल बनाने में इनके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। वास्तव में, क्षेत्रीय भाषाओं के पोस्टर यह भी सुनिश्चित करने में सहायक हो सकते हैं कि संदेश सभी हितधारकों तक पहुँच जाए, वे चाहे जो भी भाषा समझते हैं।

कृपया ध्यान दें : सीएमजीआई यह सुनिश्चित करेगी कि सीएमजीआई दस्तावेजों में अंग्रेजी से हिंदी या गुजराती के अनुवाद की प्रक्रिया में किसी भी विसंगति या अर्थ-भेद की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी, किसी भी संभावित विसंगति / गलतफहमी / असहमति की स्थिति में जो तीन अलग-अलग भाषाओं में सीएमजीआई दस्तावेजों की विषय वस्तु या अर्थ में उत्पन्न हो सकती है। अंतिम निर्णय भारत सरकार या सीएमजीआई दस्तावेजों के अंग्रेजी संस्करण द्वारा जारी अधिनियम / दिशानिर्देश / पुस्तिका की क्षेत्रीय भाषा प्रतिलिपि पर आधारित होगा। सीएमजीआई आपको आपकी पसंद की भाषा में इस विषय वस्तु के बारे में चर्चा, स्पष्टीकरण और शिक्षित करने के लिए उपलब्ध रहेगी।

**यह दस्तावेज सीएमजीआई द्वारा तैयार किया गया है। यदि उपरोक्त प्रश्न आपकी मदद नहीं करते हैं, तो कृपया chr-cmgi@iima.ac.in पर सीएमजीआई से संपर्क करें।**

**प्रोफ़ेसर प्रोमिला अग्रवाल**
**अध्यक्षा, सीएमजीआई**